

**कार्यालय,
अखिल भारतीय शिक्षा परिषद,
राज्य प्रवेश परीक्षा।**

संख्या- कार्यालयीय संख्या/2023/12990001

राज्य-दिनांक- 12-09-2023

आवृत्तिय प्राप्ति

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में संघटित द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के उपरांत अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उक्त सत्र राज्यांत में सम्बद्ध विचार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 21-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धा समिति की बैठक करत हुए। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विचार एवं सम्बद्ध समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्ध विचार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्ध समिति की बैठक में किये गये निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उक्त सत्र राज्यांत द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन परीक्षाक्रम एवं उसी अधीन प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्ध विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4664-INDU PRAKASH PHARMACY COLLEGE, HALDHARPUR, DISTT-MAU

क्रमांक	परीक्षाक्रम का नाम	सम्बद्ध समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रदान
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्ध हेतु शर्तें

- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय के सत्र 2023-24 हेतु दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व में संघटित संस्था संस्थाओं को पूर्व में विचार प्रदान करने के अतिरिक्त अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उक्त सत्र राज्यांत द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन परीक्षाक्रम प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली द्वारा निर्देशों की मधी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली के संस्था के अनुक्रम संस्था में संस्था संस्थाओं, अखिल भारतीय, उक्त सत्र राज्यांत में।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान अखिल भारतीय शिक्षा परिषद सत्र 2023-24 अखिल भारतीय शिक्षा परिषद विचारसूची 2023-24, विचारसूची-2023, संस्था विचारसूची-2023 का पालन करना पर निर्देश कार्यालयों का अनुमोदन करेगी एवं संस्था निर्देशों की मधी निर्देशों द्वारा निर्देशों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था में संस्था प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा अखिल भारतीय को ही प्रवेश दिए जायेगा।
- ✓ संस्था को संस्था संस्था पर निर्देश कार्यालयों के अनुक्रम निर्देशों एवं सम्बद्ध संस्था द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्देशों की मधी निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली में अनुमोदन विचार प्रदान किया जाता है तो प्रवेश परीक्षा में संस्था द्वारा निर्देशों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली में अनुमोदन विचार प्रदान किया जाता है तो प्रवेश परीक्षा में संस्था द्वारा निर्देशों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्यालय कार्यालय अखिल भारतीय, नई दिल्ली में अनुमोदन विचार प्रदान किया जाता है तो प्रवेश परीक्षा में संस्था द्वारा निर्देशों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगी।

संघ अध्यक्ष एवं कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।

- ✓ संघ अध्यक्ष संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।
- ✓ संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है कि संघ के कार्य समिती के सदस्यों को सूचित की जाती है।

(अशोक कुमार मिश्र)

सचिव

पूबसं- अशोक/परिषद संघ, डा. 120023/12090000-12091230

दिनांक: 12-09-2023

पुनः सूचित।

प्रधानाचार्य/निदेशक INDU PRAKASH PHARMACY COLLEGE, HALDHARPUR, DISTT-MAU

(अशोक कुमार मिश्र)

सचिव

किया जाता है तथा भारत का के संबंध में यह -कारणों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता संबंधी अवरोध निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिद्वंद्विता संबंधों को खत्म कर दिया जाएगा।

- ✓ विश्वीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता संस्थानों को समस्त प्रयोग परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रयोग परीक्षा हेतु कठोरनिर्धारित प्रारंभ होने के पूर्व पीठरहित-आईटी में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपयुक्त कारणों द्वारा अनुरोध देना प्रयोग की (कार्यालयों) के माध्यम से अथवा संसाधन स्तर पर सीधे प्रयोग अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग हेतु निर्मित नवीनतम आदेशों नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसाधनों अपने वेबसाइट पर संसाधनों समस्त सुचनाओं जैसे संसाधनों ऐतिहासिक गृही भूमि, भवन, साधनसम्पत्, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला सुसा, प्रयोगागार सुसा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसाधनों विवरण-प्रतिफल हेतु उपयुक्त साधनसम्पत् उपलब्ध कराने के साथ जिन साधनों के सम्बन्ध में संसाधनों आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसाधनों यह सुनिश्चित हो ले कि संसाधनों में प्रस्तावित नवीनतम परामर्शदाता को खतरों को हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यालय उपकरण उपकरण आदि का यदि संसाधनों द्वारा किसी अन्य परामर्शदाता के माध्यम से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसाधनों उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसाधनों संसाधनों सम्बन्धित सम्पत्ति को खत्म करने की अनुमति नहीं करेगी।
- ✓ संसाधनों के संबंधित निरीक्षण दौरान यदि संसाधनों में भूमि, भवन, प्रयोगागार, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत् पीठरहित-आईटी/आईटी/पीठरहित के माध्यम-द्वारा उपलब्ध नहीं करवा जाय है तो संसाधनों सम्बन्धित सम्पत्ति खत्म कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित मार्गों का अनुपालन न किये जाने अथवा मार्गों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में गिरफ्तार/अनुशासनसम्पत् कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

दूरभाष: प्रतिदिन/परिचय संख्या: 2021/3533-4909

पता:-

जगतपाल/निदेशक, JDU PRAKASH COLLEGE OF PHARMACY, HALDHARPUR, MAU



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
अटल प्रवेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ: दिनांक: 16-9-2020

—कार्यालय द्वारा—

अधिकांश सरकारी स्कूलों की शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कार्यकारी कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विभागात्मक स्तर पर सरकारी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, अटल लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद, अटल लखनऊ की अधिसूचना में उल्लिखित कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिकांश नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शन/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-1 में विभागात्मक रूप पर्यवेक्षक कार्यालय में प्रस्तावित सभी पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श का निष्पत्तु निर्णय लिया गया -

विशेष क्षेत्र में स्थापित विभागात्मक रूप पर्यवेक्षक कार्यालय में प्रस्तावित सभी सम्बद्धता, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, अटल लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें सम्बन्धित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुमान प्रदान करने की सम्बन्धित अधिकार/प्रवेश क्षमता को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को अथवा सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में दिए संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, अटल लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारदर्शन एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पारदर्शन का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	अथवा	हेतु प्रस्ताव समिति अधि कार्यकारी, अथवा, सत्र।	विभागात्मक रूप कार्यकारी	हाँ	हाँ

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईसी/पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अथवा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद अथवा अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागात्मक स्तर पर विभागात्मक-2019 तथा अन्य निर्मित विभागात्मक एवं अधिकांश का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित कुल तीन वर्गों (इंजीनियरिंग, पारदर्शन हेतु ₹ 50,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्गों कार्यकारी पारदर्शन हेतु ₹ 40,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्ग पारदर्शन [दो वर्गों कार्यकारी पारदर्शन को अधिकांश] हेतु ₹ 22,00,00,00 प्रतिवर्ष कुल की आय का प्रावधान के द्वारा किये जायेंगे। उपरोक्त की अधिकांश प्रावधान/प्रस्तावों से कुल को सम्बद्ध में अथवा-अथवा पर आधारे द्वारा निर्णय किये जाने वाले आगामी वर्षों के लिए, और अनुमान कार्यालयी किया

(हस्ताक्षर)

